

सं० ईसीआर/एचआरडी/सीएसबीएफ एवं एसबीएफ/मिटिंग/2018-19 दि० 01.02.19

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) उत्तर एवं दक्षिण,
पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रू घाट पटना

मंडल रेल प्रबंधक/पूर्व मध्य रेल,
धनबाद, मुगलसराय, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर

मुख्य कारखाना प्रबंधक/पूर्व मध्य रेल,
पीडी-मुगलसराय, समस्तीपुर एवं हरनौत।

विषय:- दिनांक 04.01.2019 को संपन्न केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति का कार्यवृत्त एवं ज्ञापन के संबंध में।

दिनांक 04.01.2019 को मुख्यालय हाजीपुर में केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति का बैठक किया गया था। बैठक में लिए गए निर्णय का कार्यवृत्त एवं ज्ञापन की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

संलग्नक:- कार्यवृत्त एवं ज्ञापन।

(सौरभ सावर्ण)
वकाधि/औ.सं.एवं बिल
कृते महाप्रबंधक(का)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुकाधि के निजी सचिव:- प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. प्रविस के निजी सचिव:- प्रविस महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुचिनि के निजी सचिव:- प्रमुचिनि महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. प्रमुई के निजी सचिव:- प्रमुई महोदय के सादर सूचनार्थ।
5. मुकाधि (प्र०) के निजी सचिव:- मुकाधि (प्र०) महोदय के सादर सूचनार्थ।
6. मुकाधि (औ.सं.) के गो० सहा०:- मुकाधि (औ.सं.) के सादर सूचनार्थ।
7. सीजीई /पूमरे/ हाजीपुर को सादर सूचनार्थ।
8. अमुचिनि/प्र०/पूमरे/ हाजीपुर को सादर सूचनार्थ।
9. चिनि/पूमरे/ सीएसएसएच/पटना।
10. राज्य सचिव, भारत स्काउट्स एवं गाइड सह महाप्रबंधक महोदय के सचिव।
11. कार्मिक विभाग के सभी अधिकारी।
12. महामंत्री/ईसीआरकेयू/पूमरे/ हाजीपुर।
13. महासचिव/ओबीसी एवं एससीएसटी एशोसिएशन/पूमरे/ हाजीपुर।
14. अध्यक्ष, मंडल/इकाई एसबीएफ /पूमरे।
15. वकाधि/एमपीपी:- पूमरे वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

01.02.2019
कृते महाप्रबंधक(का)

दिनांक 04.01.2019 को प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी-सह-अध्यक्ष, के कक्ष में आयोजित कान्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति की बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति-

प्रशासन पक्ष से पदाधिकारीगण			यूनियन पक्ष से पदाधिकारीगण	
1	श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी	अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति	1	श्रीएस एन पी श्रीवास्तव महासचिव/ईसीआरकेयू
2	श्री एस0सी0 श्रीवास्तव, मुख्य कार्मिक अधिकारी/आईआर		2	श्री मनीष कुमार उपाध्यक्ष/ईसीआरकेयू
3	श्री एस0के0 सिंह, मुख्य सामान्य इंजिनियर	सदस्य केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति	3	श्री एस.एस.डी. मिश्रा सहा0 महासचिव/ईसीआरकेयू
4	डॉ0 आई0एन0 यादव, अपर मुख्य स्वास्थ्य निदेशक/प्रशा0/हाजीपुर	सदस्य, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति	4	श्री शंभूनाथ राम क्षेत्रीय अपर सचिव,एससीटी एशोसिएशन
5	श्रीमती शिवानी नारायण, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, आई आर एण्ड डब्ल्यू	सचिव, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति	5	श्री पृथ्वी नाथ गुप्ता संयुक्त सचिव, ओबीसी एशोसिएशन
6	श्री डी0एन0 मिश्रा, वरिष्ठ सहायक वित्त सलाहकार	सदस्य, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति		

श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रमुकाधि-सह- अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई। मदवार चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

मद	टिप्पणी	कार्यवृत्त/निर्णय
मद सं. 1	पूमरे में RPF कर्मचारियों की एसबीएफ के लिए गणना पूर्व से होता रहा है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र सं0 E(W)97/FU-1/3 dated 24.09.97 के संदर्भ में RPF कर्मचारियों की एसबीएफ के लिए गणना करने हेतु पुनः पत्र सं0 E(W)2018/FU-4/5 dated 18.09.2018 जारी किया गया है। अतः सभी मंडलों/इकाईयों को इसका अनुकरण किये जाने पर निर्णय।	समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।
मद सं. 2	वर्ष 2018-19 में सीएसबीएफ को रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी राशि का आवंटन पर निर्णय :-	वर्ष 2018-19 के केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि में बजट गट के अंतर्गत प्राप्त राशि रु. 4,66,33,000 (चार करोड़ छयासठ लाख तैतीस हजार मात्र) हुआ है जिसमें से 20 प्रतिशत राशि रु. 93,26,600 रिजर्व रखा जाए तथा शेष राशि का रु. 3,73,06,400 (तीन करोड़ तिहत्तर लाख छः हजार चार सौ मात्र) मंडलों/इकाईयों को रु. 800/- Per capita के आधार पर वितरण (Distribution) संलग्न ANNEXURE - I के अनुसार किया गया। जिसमे मुख्य कथन निम्नवत है :- 1. PD/MGS, SPJ/WS, Construction/MHX के Recreational Facilities at Institutes and Club etc. एवं Indigenous system of medicine including Homeophay मद संख्या 06 की राशि को Headquarter Reserve Fund में अगले आदेश तक अनुरक्षित किया गया है। 2. Creation of Holidays Home के कम में प्रस्ताव पृ सं0 11 के अनुपालन में Misc मद 14 की राशि रु 37,30,640/- (सैतीस लाख तीस हजार छः सौ चालीस) Headquarter Reserve Fund में अनुरक्षित किया गया है।

Chh

Posh
Kendiaf

मनीष

एन सी मिश्रा

PCPO

11/1

श्री

या

मद सं. 3	वर्ष 2017-18 में सीएसबीएफ के आरक्षित निधि में रखे गये शेष राशि तथा प्रधान कार्यालय एवं मंडलों के वे राशियाँ जो व्यय नहीं किया जा सका तथा प्रधान कार्यालय को लौटा दिया गया है। उन्हें वर्ष 2018-19 के सीएसबीएफ के आरक्षित निधि में अग्रसारित किये जाने पर निर्णय।	समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।
मद सं. 4	तकनीकी/व्यवसायिक उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति सहायता प्रदान किये जाने पर निर्णय।	समिति द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि RBE 4/17 के आलोक में ग्रेड वेतन रु0 2400 से 4200 तक के कर्मचारी के वार्डस (पुत्र/पुत्री) को तकनीकी/व्यवसायिक उच्च शिक्षा के मामले में प्रतिमाह 1500 रु0 की दर से प्रतिवर्ष अधिकतम 18000/- छात्रवृत्ति सहायता वित्तीय वर्ष में उपलब्ध SBF से प्रदान किया गया।
मद सं. 5	महिला सशक्तिकरण गतिविधि संबंधित निर्णय	<p>समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महिला दिवस के अवसर पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में एक संवाद का आयोजन किया जाए। संवाद का आयोजन 8 मार्च को किया जाए तथा निम्नलिखित मामले में आर्थिक सहायता राशि संचित निधि से प्रदान किया जाए—</p> <p>(i) IVF TREATMENT के मामले में वैसे महिला अराजपत्रित कर्मचारी अथवा कर्मचारी की पत्नी को संबंधित रेलवे चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (Countersigned) प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्राप्त होने पर आर्थिक सहायता राशि सेवा-काल में सिर्फ एक बार रु0 1,50,000/- मात्र प्रदान किया गया।</p> <p>(ii) Adoptions of Girl Child:-बेटी बचाव-बेटी पढ़ाव योजना के अन्तर्गत अराजपत्रित कर्मचारी नवजात शिशु(लडकी)उम्र 0-5 वर्ष को गोद लेने के मामले में कानूनी दास्तावेजों (Legal Documents) के साथ आवेदन प्राप्त होने पर सेवा-काल में सिर्फ एक बार रु0 50,000/- मात्र आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया जाए। इस राशि को शिशु (लडकी) के नाम 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक कर्मचारी द्वारा फिक्स डिपोजिट की जाएगी जिसका प्रमाण-पत्र तीन माह के भीतर कल्याण अनुभाग को आवश्यक रूप से जमा करना होगा अन्यथा दी गई आर्थिक सहायता ब्याज सहित एसबीएफ के खाते में वापस जमा करना होगा। ऐसा न करने पर अनुशासनिक कारवाई की जाएगी।</p> <p>(iii) Women Education Programme के लिए ईसीआरकेयू को सहायता राशि रु.1,50,000 स्वीकृत किया गया है।</p> <p>(iv) महिला कर्मचारियों के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा CSSH में Health Camp लगाया जाएगा।</p> <p>(v) महिला Common Room तथा Creche की व्यवस्था SBF द्वारा की जाएगी।</p>
मद सं. 6	Relief of distress sickness के मद सं. 8 में चिकित्सा सहायता पर निर्णय।	<p>चिकित्सा सहायता हेतु समिति द्वारा सर्वसहमति निम्न प्रकार निर्णय ली गई:-</p> <p>(क) अराजपत्रित कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार (पत्नी/पुत्र/पुत्री) को गंभीर बीमारी पर रु.50,000 रेलवे चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाए।</p> <p>(ख) अराजपत्रित कर्मचारी जो रेलवे अस्पताल में चिकित्सारत/भरती है और उनके अवकाश खाता में LAP/LHAP</p>

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

		छुट्टी जमा न रहने के कारण अवैतनिक चल रहे हैं वैसे कर्मचारी को परिवार के भरण-पोषण के लिए प्रति माह रु.15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) रेलवे अस्पताल के चिकित्सक द्वारा प्रमाणपत्र के आधार पर चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाए। (ग) अराजपत्रित कर्मचारी जो अपना शरीर का कोई अंग दान (Donate) करते हैं तो संपूर्ण जीवनकाल में Genuineness Certificate के आधार पर रु.50,000/- (पचास हजार रुपये) सहायता प्रदान किया जाए। (घ) ब्लड कैंप आयोजन के तहत रक्तदान करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को Lunch Box/Thermas वितरित किया जाए।
मद सं. 7	वर्ष 2018-19 में CSBF से स्वयं कर्मचारी का 15 एवं उनके परिवार के लिए 18 आवेदन चिकित्सा सहायता हेतु प्राप्त हुआ। कुल 33 आवेदनों पर विभिन्न बिमारियों के लिए प्रमुकाधि-सह-अध्यक्ष/सी.एस.बी.एफ. के स्वीकृति के उपरांत चिकित्सा सहायता राशि का भुगतान सी.एस.बी.एफ. के संचित निधि से की जा चुकी है। कृपया इस पर कार्योत्तर सहमति समिति द्वारा अपेक्षित है।	समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर सहमति प्रदान की गयी।
मद सं. 8	होमियोपैथिक परामर्शदाता डा० अरविन्द कुमार सिंह एवं डा० रेणु सिन्हा की एक वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 26.06.2019 को समाप्त होगी। होमियोपैथिक परामर्शदाता की सेवा अवधि विस्तार करने पर निर्णय अपेक्षित है।	समिति द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि पॉली क्लिनिक/हाजीपुर एवं सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में होमियोपैथिक परामर्शदाता के पद पर विनियोजन एक वर्ष की अवधि विस्तार के लिए इनके व्यक्तिगत कार्य-कलाप एवं दैनिक मरीजों की संख्या के आधार पर अगले वर्ष के लिए नियमानुसार सेवा विस्तार हेतु विचार किया जाएगा।
मद सं. 9	इण्डिजेनेस सिस्टम ऑफ मेडिसिन मद में फंड की कमी रहती है। पॉली क्लिनिक/हाजीपुर एवं सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में होमियोपैथिक परामर्शदाता के पद पर विनियोजित परामर्शदाताओं की मानदेय का भुगतान बोर्ड के निर्देशानुसार चिकित्सा शीर्ष से भुगतान पर निर्णय अपेक्षित है।	समिति द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि प्रधान मुख्य चिकित्सा निर्देशक हाजीपुर ने इण्डिजेनेस सिस्टम ऑफ मेडिसिन मद में फंड की कमी की भरपाई हेतु रेलवे बोर्ड के आरबीई 112/2010 (पत्र संख्या ई (डब्ल्यू) 2008/डब्ल्यूई-1/10 दिनांक 09.08.2010) के निर्देशानुसार होमियोपैथिक परामर्शदाता का मानदेय भुगतान चिकित्सा शीर्ष से की जाए। मुख्यालय एसबीएफ समिति उपरोक्त मद में अपने आवश्यकतानुसार चिकित्सा विभाग से प्रत्येक वर्ष माँग करेगी ताकि होमियोपैथिक परामर्शदाताओं एवं डिस्पेंसर्स के मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह नियमित रूप से हो सके।
मद सं. 10	सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल/पटना तथा पॉली क्लिनिक/हाजीपुर स्थित होमियोपैथिक डिस्पेंसरी में चिकित्सक हेतु-एक कुर्सी, एक टेबल, दवा बनाने हेतु-एक छोटा टेबल, मरीज बैठने हेतु-4 कुर्सी व एक बेंच तथा औषधि सुरक्षित रखने हेतु-दो बड़ा अलमीरा तथा उपचार उपकरण एवं औषधियों की खरीद हेतु निधि आवंटन पर निर्णय अपेक्षित है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल/पटना तथा पॉली क्लिनिक/हाजीपुर स्थित होमियोपैथिक डिस्पेंसरी के लिए सामग्री, चिकित्सा उपकरणों के लिए रु. 75,000-75,000 (प्रत्येक को) प्रदान किया जाए तथा औषधियों खरीद हेतु राशि का उपलब्धता कोटेशन के आधार पर Reserved Fund से किया जाए।
मद सं. 11	मुख्यालय कार्यालय के कर्मचारियों के लिए योग शिविर का आयोजन दिनांक 23/01/2018 से 28/02/2018 तक वैशाली रेल प्रेक्षागृह के भूतल में आयोजन किया गया था जिसका आयोजन के क्रम में दरी एवं चादर के लिए 18408/-	समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर सहमति प्रदान की गयी तथा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मानसिक एवं शारीरिक विकास हेतु शिविर आयोजन के लिए रु.50,000 कर्मचारी कल्याण निधि के आरक्षित मद से भुगतान किया गया।

dm

Prashant

मनीष

मनीष

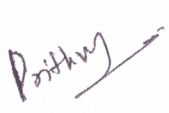
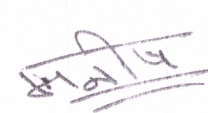
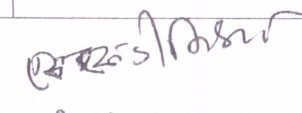
PCPO

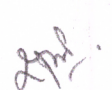
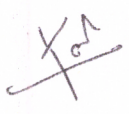
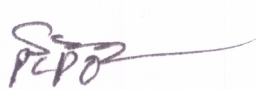
Alh

2018

Kor

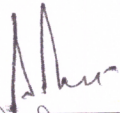
	रूपया व्यय किया गया था जिसका भुगतान महाप्रबंधक महोदय के स्वीकृति से कर्मचारी कल्याण निधि के आरक्षित मद से भुगतान किया गया। कृपया इस पर कार्योत्तर सहमति समिति द्वारा अपेक्षित है।	
मद सं. 12	कर्मचारी हितों की प्रतिपूर्ति के लिए संतुष्टि स्टाफ कैंटिन को अपग्रेड किया गया। जिसके अन्तर्गत महाप्रबंधक महोदय के अनुमोदन से सात वातानुकनल की राशि रुपये 2,03,000 (दो लाख तीन हजार मात्र) मेर्सस आदित्य विजन को भुगतान किया गया। कृपया इस पर कार्योत्तर सहमति समिति द्वारा अपेक्षित है।	समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर सहमति प्रदान की गयी तथा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि महाप्रबंधक कार्यालय स्टाफ कैंटीन, हाजीपुर में कॉफी वेंडिंग मशीन स्थापित किया जाए।
मद सं. 13	मुख्यालय/मंडलों/यूनिटों में रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E/W/2014/FU-1/1 दिनांक 01.06.15 के आलोक में शिक्षण क्षेत्र में outstanding performance के तहत शिक्षण के मामले में किन-किन आधार पर आवेदकों को SBF से अनुदान राशि प्रदान की जाय इस पर विचार।	विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि:- (ii) ऐसे मेधावी छात्र जो Government IIT/NIT एवं Government Medical college में प्रवेश पाने में सफल हुए हों को Outstanding performance के तहत रु.50,000 सहायता राशि प्रदान की जाय। सहायता की राशि का निर्णय प्रधान कार्यालय/मंडल/इकाई अपने फंड में उपलब्ध राशि के अनुसार लेंगे।
मद सं. 14	चश्मा के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता राशि पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से निर्णय ली गई कि ग्रेड वेतन 4600/- के कर्मचारी को चश्मा के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को रु. 1,200/- से बढ़ाकर रु. 1,500/- (एक हजार पाँच सौ) कर दिया जाय जिसका भुगतान संचित निधि से किया जाए। यह सहायता राशि सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार प्रदान किया जाए।
मद सं. 15	रेलवे कर्मचारी के असामयिक मृत्यु होने पर उनके शव को उनके घर तक सुरक्षित एवं सम्मानित ढंग से पहुंचाने के लिए ताबूत की व्यवस्था एसबीएफ से करने पर विचार/निर्णय।	सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्मानित रूप से शव को घर ले जाने के लिए प्रधान कार्यालय/मंडल/यूनिट प्रत्येक मामले में रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की स्वीकृति अपने एसबीएफ के विविध मद (Miscellaneous fund) में आवंटित फंड से किया जाए।
मद सं. 16	Recreation other than sports मद संख्या 5 के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से लंबित केरल के लिए होली डे आयोजित शिविर पर विचार-निर्णय।	उक्त शिविर के लिए इच्छुक 74 कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त हैं इसके अलावा प्रशासन की ओर से 14 कर्मचारी/डॉक्टर नामित होंगे। इस प्रकार कुल 88 कर्मचारियों/डॉक्टर की टीम होगी। सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि 50 कर्मचारियों/डॉक्टर की टीम होगी। इसके लिए पात्र प्रत्येक कर्मचारियों/डॉक्टर को रु. 3,000 अनुदान देना होगा।
मद सं. 17	सीएसबीएफ की दिनांक 04.01.2019 को आयोजित बैठक हेतु स्टेशनरी, नाश्ता-चाय के लिए रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की स्वीकृति पर विचार/निर्णय।	उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

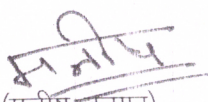




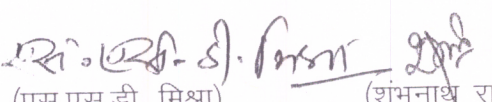





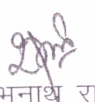
उपरोक्त मदों के अलावा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:-

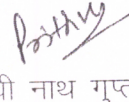
- मंडलों की भौति मुख्यालय/हाजीपुर में भी CSBF के नाम से बैंक खाता खोला जाए जिसे Dy.CPO/IR&W एवं CSWI/CSBF द्वारा बैंक खाता संचालित किया जाए तथा मुख्यालय का एसबीएफ शेयर जो बनता है, उसमें जमा किया जाए।
- सीएसबीएफ की बैठक वर्ष में दो बार किया जाए।
- Education (J.P. Trade Centre, Chiriyatad, Patna) for Trade Union के लिए सहायता राशि रु.1,50,000 स्वीकृत किया गया है।
- स्पोर्ट्स/टूर्नामेंट/सांस्कृतिक संबंधित गतिविधियों पर त्रैमासिक रिपोर्ट मंडल/यूनिट द्वारा मुख्यालय भेजा जाए।


(एस एन पी श्रीवास्तव)
महासचिव/ईसीआरकेयू


(मनीष कुमार)
उपाध्यक्ष/ईसीआरकेयू

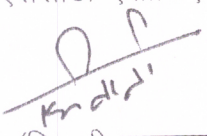

(एस.एस.डी. मिश्रा)
सहायक महासचिव/ईसीआरकेयू

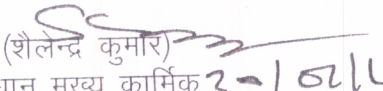

(शंभूनाथ राम)
क्षेत्रीय अपर सचिव,
एससीटी एशोसिएशन

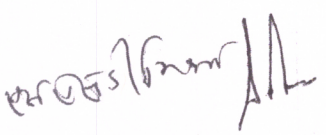

(पृथ्वी नाथ गुप्त)
संयुक्त सचिव,
ओबीसी
एशोसिएशन


(एस के सिंह)
सीजीई,
सदस्य-सीएसबीएफ


(डॉ.आई.एन. यादव)
अपर मुख्य/स्वास्थ्य
निदेशक/प्रशासन
सदस्य-सीएसबीएफ


(शिवानी नारायण)
उपमुकाधि, आई आर
एण्ड डब्लू
सचिव-सीएसबीएफ


(शैलेन्द्र कुमार)
प्रधान मुख्य कार्मिक
अधिकारी
अध्यक्ष-सीएसबीएफ


(एस एन पी श्रीवास्तव)

Memorandum

ANNEXURE _1

Distribution of CSBF-Budget Grant amounting Rs.3,73,06,400 (Rs.4,66,33000-9326500) for the year 2018-19

Distribution of CSB-Budget Grant amounting Rs.3,73,06,400 (Rs.4,66,33000-9326600) for the year 2018-19														
Division/Unit			DHN	DNR	MGs	SEE	SPJ	PD/ MGs	HQ	SP/WS	HRT	CAO/CON	Reserved with HQ	TOTAL
Sanction Strength			27806	17330	17552	14255	13044	1519	2854	1129	1041	1478		98008
SN	Head/Activity	Allocation (Rs.)												
1	Education - Scholarship for Higher Technical/Professional education for ward of staff to all non-Gen. Rty. Employee	116	1534717	956508	968760	786787	719947	83839	157523	62314	57457	81576	0	5409428.00
2	Scholarship for Higher Technical/ Professional education of girl children of staff in gr. Pay upto 2400/-	110	1455335	907033	918652	746091	682708	79503	149375	59091	54485	77357	0	5129630.00
3	Scholarship for Higher Technical/Professional education of male children of staff in gr. Pay upto 2400/-	100	1323032	824575	835139	678264	620644	72275	135796	53719	49532	70324	0	4663300.00
4	Women empowerment activities including seminar/camps, Ttg. Programmes & Gender sensitization camps etc.	28	370449	230881	233839	189914	173780	20237	38023	15041	13869	19691	0	1305724.00
5	Recreation other than sports	32	423370	263864	267244	217045	198606	23128	43455	17190	15850	22504	0	1492256.00
6*	Recreational facilities at institutes and clubs etc.	36	476292	296847	300650	244175	223432	0	48886	0	17831	0	70675	1678788.00
7	Promotion of cultural activities	16	211685	131932	133623	108522	99303	11564	21727	8595	7925	11252	0	746128.00
8	Relief of distress, sickness, etc. for staff in gr. pay upto Rs.4600/-	120	1587638	989491	1002167	813917	744773	86730	162955	64462	59438	84389	0	5595960.00
9	Sports activities	30	396910	247373	250541	203479	186193	21683	40739	16116	14859	21097	0	1398990.00
10	Scouts and Guides activities	22	291067	181407	183730	149218	136542	15901	29875	11818	10897	15471	0	1025926.00
11*	Indigenous system of medicine including homeopathy	36	476292	296847	300650	244175	223432	0	48886	0	17831	0	70675	1678788.00
12	Immediate Relief in time of crisis arising out of floods, famines, landslides, fire or any other calamity.	24	317528	197898	200433	162783	148955	17346	32591	12892	11888	16878	0	1119192.00
13	Developing occupational skills of physically/mentally challenged Railway Employees and their wards including purchase of wheelchair, others aides, spl. Software etc. and organising workshops, seminars, camps etc.	50	661516	412288	417569	339132	310322	36138	67898	26859	24766	35162	0	2331650.00
14**	Miscellaneous	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3730640	3730640.00
	Total	800	9525831	5936944	6012997	4883502	4468637	468344	977729	348097	356628	455701	3871990	37306400.00

Note- The above amount distribution includes RPE + staff & accounts department

Note- The above amount distribution includes RPF staff & accounts department also.

The 20% amount of Rs. 46633000/- i.e. Rs. 9326600/- has been kept in Reserve Fund in CSBF 2018-19

* Amount of Rs. 141350 of Allocation Head No. 6 & 11 for PD/MGS, SPJ/WS & CAO/Con/MHX has also been kept for time being in reserve fund as those units there is no activities in above

**The amount Rs.37,30,640/- of Allocation Head No.14(Misc) is kept in HQ for improvement of Holiday Home in terms of minutes of the meeting held on 06.06.2018.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]